जे. वी. गुप्ता, जे.

रोशन लाल, राम दीया का नाबालिग पुत्र, आपतिकर्ता- याचिकाकर्ता।

बनाम

किशन लाल और अन्य, - प्रतिवादी - जेडी।

1988 का नागरिक संशोधन क्रमांक 1926

8 अगस्त, 1989

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) एस. 421-अचल संपत्ति की कुर्की-न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां बताई गईं।

अभिनिर्णित किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत किसी भी अचल संपत्ति की कुर्की या बिक्री के लिए सक्षम नहीं था। उस प्रयोजन के लिए वह जिले के कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है, जैसा कि उसमें प्रावधान है। (पैरा 4)

भारत के संविधान की धारा 115 सीपीसी और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाए, नीचे के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया जाए (डिक्री की अनदेखी करते हुए और यह मानते हुए कि संपत्ति को राशि की वसूली के लिए बेचा जा सकता है) को रद्द कर दिया जाए और कुर्की की जाए आदेश के अनुसार भूमि और उसके बाद की बिक्री को रद्द किया जाए।

कोई अन्य राहत, जिसे याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं के खिलाफ दिए जाने का हकदार पाता है।

दावा: वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15(5) के तहत राशि की वसूली।

पुनरीक्षण में दावा: दोनों न्यायालयों के आदेश को उलटने के लिए नीचे।

याचिकाकर्ता के वकील सी. बी. गोयल।

प्रतिवादियों की ओर से के.एस. कपूर, वकील।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह याचिका जिला न्यायाधीश, कमल, दिनांक 13 जून, 1988 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमल, दिनांक 4 जनवरी, 1988 का आदेश, निर्णय की संपत्ति की नीलामी का आदेश देता है- देनदार बना हुआ था।

(2) वेतन अधिनियम के भुगतान के तहत प्राधिकारी ने, 30 अप्रैल, 1986 के आदेश के तहत, रुपये की राशि तय की। राम दीया द्वारा किशन लाल के पक्ष में 5,200 रुपये का भुगतान। किशन लाल ने प्राधिकरण को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उक्त राम दीया ने संबंधित राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। नतीजतन, प्राधिकरण ने वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 8.15(5) के तहत प्रमाण पत्र जारी किया और मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। कमल, राम दीया से राशि की वसूली के लिए मानो उस न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना था। उक्त रकम की वसूली के लिए राम दिया के नाबालिग पुत्र रोशन के नाम की जमीन कुर्क कर ली गई। रोशन लाल ने सीपीसी के

आदेश 21 नियम 58 और 59 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए आरोप लगाया कि जमीन का मालिकाना हक उनके पास था, न कि उनके पिता रेन दीया के पास। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि राम दीया संपत्ति का मालिक था और इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया। अपील में विद्वान जिला न्यायाधीश ने उक्त आदेश बरकरार रखा।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत उचित नहीं थी। विद्वान वकील के अनुसार, इसके तहत अपराधी की किसी भी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन किसी अचल संपत्ति का नहीं। अचल संपत्ति की कुर्की के लिए, न्यायालय जिले के कलेक्टर को एक वारंट जारी करेगा, जिसमें उन्हें अपराधी/डिफॉल्टर की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूलने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं थी।

(4) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों में दम नजर आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत किसी भी अचल संपत्ति की कुर्की या बिक्री के लिए सक्षम नहीं था। उस प्रयोजन के लिए वह जिले के कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है, जैसा कि उसमें प्रावधान है।

(5) परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण याचिका सफल होती है; विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं। पक्षों को 4 सितम्बर 1989 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमल की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। वह जिले के कलेक्टर को आवश्यक वारंट जारी करेगा, जिसमें उसे सीआरपीसी की धारा 421 के तहत चल या अचल संपत्ति या अपराधी/डिफॉल्टर यानी राम दीया दोनों से भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा